1 क्या आप जानते है ?

(1) किसी भी वस्तु की कीमत उसके गुणों के साथ-साथ उसकी शुद्ध मात्रा से आंकी जाती है। यदि आप वस्तु को कम मात्रा में पाते हैं तो आपके द्वारा चुकाया गया मूल्य वस्तु के निर्धारित मूल्य से अधिक होता है।

(2) यदि नाप-तौल उपकरण सही नहीं हो अथवा उन्हें सही तरीके से उपयोग न किया जावे तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

(3) नाप-तौल उपकरणों के सही होने पर भी कुटिल व्यवसायी द्वारा हाथ की सफाई से की जाने वाली हानि से उपभोक्ता सतर्क होने पर ही बच सकता है।

(4) नाप-तौल से संबंधित अधिनियम एवं नियम उपभोक्ता हितों के संरक्षक है।

2. वस्तु क्रय करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दीजिये:

(1) बांट:

(1) लोहे के पुराने, पत्थर के या अन्य अमानक बांटों से वस्तुयें न खरीदें।

(2) बांटों के नीचे छिद्र में शीशे पर नाप-तौल विभाग की मुद्रा लगी होती है। देखें कि बांटों के नीचे छिद्र से कहीं शीशा तो नहीं निकाला है अथवा अन्य किसी वस्तु से छिद्र भर कर बांटों का वजनदार तो नहीं बनाया गया या बांट को काट कर उसका वजन कम तो नही किया गया।

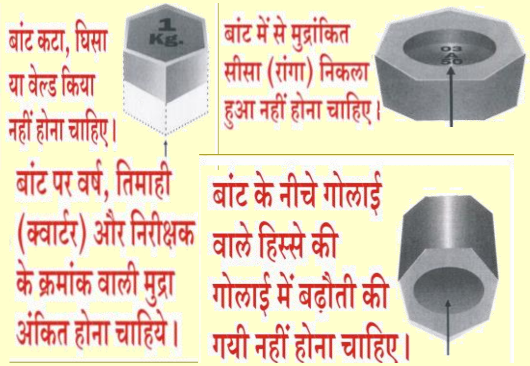

(2) माप:

(1) तरल पदार्थ खरीदते समय देखें कि मापक उपकरण नीचे से या आजू-बाजू से पिचका हुआ तो नहीं है या माप की डण्डी तो नहीं टूटी है।

(2) यह देखें कि विक्रेता मापक उपकरण में अँगूठा डालकर तो द्रव्य नहीं माप रहा है।

(3) यह देखें की मापक उपकरण पूरी तरह से भरा गया हैं एवं उड़ेलते समय पूरा खाली किया गया है।

(4) यह देखें की शंकु आकार का मापक उपकरण पिचका हुआ तो नहीं है या उसके अन्दर कोई रबर, टीन या अन्य पदार्थ की पैकिंग लगाकर उसका आयतन छोटा तो नहीं किया गया है।

माप का तला समतल नही हो। माप की गहराई और व्यास समान नही हो। माप पर वर्ष तिमाही (क्वार्टर) और निरीक्षक के नम्बर वाली मुद्रा नही हो।

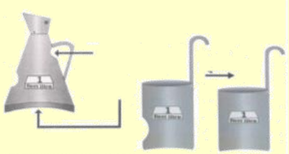

माप पिचका/कटा /घिसा टूटा नही हो

(3) लम्बाई मापक (मीटर):

(1) कपड़ा, तार या अन्य वस्तु खरीदते समय यह देखें कि मीटर के दोनों सिरों पर तीर के निशान हैं।

(2) यह देखें कि मीटर हाथ से दबाकर आड़ा तिरछा या कम तो नहीं किया गया है।

(3) यह देखें की कपड़ा या अन्य वस्तु खींचकर तो नहीं नापी जा रही हैं।

(4) तराजू:

(1) गोल डण्डी की तराजू अथवा भारी पलवे या फंसने वाले मोटे हुक की अवैध तराजू से तुलवाकर कोई वस्तु न खरीदें।

(2) यह देखें की तराजू में पासंग तो नहीं हैं।

(3) यह सुनिश्चित करें कि तराजू के नीचे चुम्बक या अन्य कोई वस्तु तो नहीं रखी हैं।

(4) यह देखें की आटा तथा अन्य वस्तु तौलते समय पलवे को पैर का सहारा तो नहीं दिया जा रहा है या पैर से दबाया तो नहीं जा रहा है और पलवे दीवार या अन्य वस्तु से तो नहीं टकरा रहे हैं। जिस पलवे पर बांट रखें हैं उसके नीचे कोई स्टैण्ड तो नहीं बना है।

लेड प्लग पर वर्ष तिमाही (क्वार्टर) एवं निरीक्षक मुद्रा अंकित नही हो ।

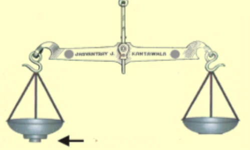

पलडों के नीचे चुंबक या अन्य पदार्थ चिपकाया हुआ नही हो ।

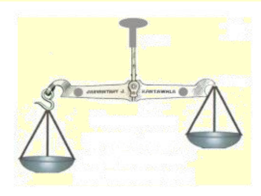

जंजीर तराजू की डंडी पर चढी नही हो साथ ही सुई के उपर कोई छड वेल्ड न हो तथा नीचे की लटकन निकली हुई न हो ।

(5) रद्दी या अन्य वस्तु बेचते समय ध्यान रखें कि लकड़ी की तराजू से न बेचें। यह भी ध्यान रखें कि तराजू में सेन्ट्रल में सेन्ट्रल नाइफ-एज फंस तो नहीं रहा है।

(5) काउन्टर मशीन:

(1) यह देखें कि पलवे के नीचे कोई सिक्का या अन्य कोई वस्तु तो नहीं फंसाई गई हैं।

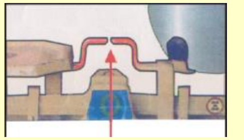

बांट और खरीदी हुई चीजो के पलडो की बीच का वजन दिखाने वाले संकेतक समानांतर (समतल) होना चाहिये ।

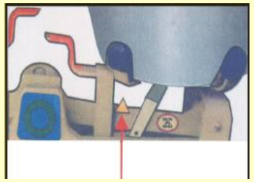

काउंटर मशीन की बेरिंग धुरी से उतारकर काउंटर मशीन से छेडछाड नही होनी चाहिए ।

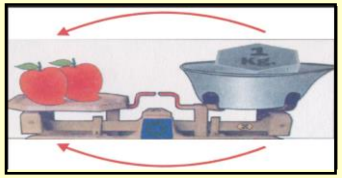

बांट और खरीदी हुई चीजों को दोनो पलडो में अदल बदल करने पर वजन की स्पष्टता हो सकती है ।

(2) यह देखें की काउन्टर मशीन समतल व सहजगोचर स्थान पर रखी है।

(3) काउंटर मशीन के नीचे लीवर्स पर रबर बैंड अथवा धागा तो नही बांधा गया है।

(6) पेट्रोल/डीजल पम्प:

(1) पेट्रोल या डीजल खरीदते समय देखें कि प्रारम्भ में मीटर शून्य दर्शा रहा है।

(2) मीटर में दर्शाये गये माप अनुसार ही भुगतान करें। शंका होने पर उपभोक्ता की सुविधा हेतु पम्प संस्थान पर रखे प्रमाणित माप से प्रदायगी की जांच करें।

(7) इलेक्ट्रानिक मशीन:

(1) तौल मशीन समतल पर हो एवं इस पर वर्ष तिमाही (क्वार्टर) व निरीक्षक के क्रमांक वाली मुद्रा तार व लेड द्वारा सीलकर अंकित हो।

स्वर्ण आभूषण ढक्कनदार तथा प्रथम अथवा द्वितीय शुद्धता श्रेणी वाली

इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से खरीदे ।

तौल मशीन के सही होने की पुष्टि सत्यापित बांट को तौलकर की जा सकती है ।

(2) तौल करने से पहले सूचक (डिस्प्ले) शून्य पर हो एवं अस्थिर न हो।

(3) **तौल मशीन के सही होने की पुष्टि सत्यापित बॉट को तौलकर की जा सकती है।**

(4) **स्वर्ण आभूषण ढक्कनदार तथा प्रथम अथवा द्वितीय शुद्वता श्रेणी वाली इलेक्ट्रानिक तौल मशीन से ही खरीदें।**

(8) टैक्सी मीटर:

(1) **आटो रिक्शा/टैक्सी में बैठने के पूर्व देखें कि मीटर, मीटर-गीयर तथा असेम्बली पर नाप-तौल विभाग की मुद्रा लगी है।**

(2) **आटो रिक्शा/टैक्सी में बैठते ही मीटर को डाउन करवायें और देखें कि मीटर प्रारम्भिक किराया दर्शा रहा है।**

(3) **टैक्सी में बैठते समय विशेष रूप से ध्यान देवें कि टैक्सी मीटर का फ्लेग कहीं तिरछा तो नहीं है क्योंकि** ऐसी स्थिति में उसमें वेटिंग चार्ज भी प्रारम्भिक किराये में शामिल हो जावेगा। अतः तिरछा होने की स्थिति में मीटर के फ्लेग को पुनः घुमवाया जाकर प्रारंम्भिक किराये वाली स्थिति प्राप्त की जावें।

(9) पैकेज (पहले से पैक की हुई वस्तु):

(1) सामान्यतः सभी पैकेजों पर निम्नानुसार घोषणायें आवश्यक हैं:-

(अ) निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का नाम तथा पता।

(ब) पैक की गई वस्तु का सामान्य या प्रजातिगत नाम।

(स) मानक इकाई में विशुद्ध मात्रा/ संख्या (यदि वस्तु संख्या में विक्रय/पैक की जाती है) ।

(द) निर्माण/पैक/आयात करने का माह तथा वर्ष।

(इ) अधिकतम फुटकर मूल्य .... सभी करों सहित।

(फ) अतिरिक्त संबंधित सूचना ।

(ग) उपभोक्ता की शिकायत की दशा में संपर्क करने हेतु व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक, ई-मेल पता ।

(2)यह देखें कि पैकेट पर अंकित मूल्य को विक्रेता द्वारा काटा गया या बदला तो नहीं गया है।

(3) यह देखें कि पैकेट पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में तो नहीं विक्रय किया जा रहा है।

(4) वजन में शंका होने पर तुलवाकर खरीदें।

(3) सामान्य:

(1) केवल दाशमिक प्रणाली किलोग्राम/ मीटर/लीटर) के नाप-तौल उपकरणों से ही वस्तु खरीदें।

(2) सभी नाप-तौल उपकरणों पर नाप-तौल विभाग की मुद्रा लगी होती है यथा एम. पी.-210 डी.-12 का अभिप्राय वर्ष 2012 की डी तिमाही (अक्टूबर से दिसम्बर) है और एम. पी.-210 का अभिप्राय मध्यप्रदेश के निरीक्षक मुद्रां क्रमांक 210 से है। इन मुद्राओं को देखें एवं सुनिश्चित करे कि मुद्रा दो वर्ष (केवल तराजू, बाट, माप एवं काउंटर मशीन में) एवं अन्य उपकरणों में एक वर्ष से अधिक पुरानी तो नहीं है।

(3) मिठाई को डिब्बे सहित नहीं तुलवायें। तौल या वजन में देखें कि कहीं डिब्बे का वजन तो शामिल नहीं किया जा रहा है।

(4) घरेलु प्रयोग गैस की टंकी में गैस का वजन सामान्यतः 14.2 किलोग्राम होता है। इस टंकी पर खाली टंकी का वजन भी अंकित रहता है। हाकर/ विक्रेता के पास स्प्रिंग बैलेंस रहता है। शंका होने पर गैस की टंकी तुलवाकर खरीदें।

(5) जाली मुद्रा बनाने पर छः माह से लेकर दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

(6) अमानक बांट तथा माप का उपयोग करने पर अर्थदण्ड रू. 2000 से 5000/- तक का प्रावधान है।

(7) पैकेज में धोषणा संबंधी किसी भी तरह की अनियमितता किये जाने पर रू. 25000/- तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है।

(8) पैकेज में कम मात्रा संबंधी किसी भी तरह की अनियमितता किये जाने पर रू. 50000/- तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है।

(9) बांट, माप, पेट्रोल पम्प, टैक्सी मीटर, गैस टंकी, पैकेज आदि में गड़बड़ी अनुभव करने पर स्थानीय नाप-तौल निरीक्षक को अपने पते सहित शिकायत प्रस्तुत करें, ताकि दोषी व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

(10) क्षतिपूर्ति हेतु जिला उपभोक्ता फोरम (जिसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है) मे शिकायत दर्ज की जा सकती है।

(11) नाप तौल विभाग द्वारा कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उनके तहत केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत की जाती है।

(12) उपभोक्ता की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु सूचनायें निम्नानुसार पते पर दी जा सकती है:-

क्र	स्थान	कार्यालय	दूरभाष क्र.
1	भोपाल	नियंत्रक, नाप-तौल	2551017 4246424
2		संयुक्त नियंत्रक दाशमिक अधिकारी	2551021
3		उप नियंत्रक	2551020
2	होशंगाबाद	सहायक नियंत्रक	252519
3	इन्दौर	उप नियंत्रक	2544424
4	खण्डवा	सहायक नियंत्रक	2223944
5	उज्जैन	सहायक नियंत्रक	2518463
6	रतलाम	सहायक नियंत्रक	267347
7	जबलपुर	उप नियंत्रक	2670583
8	छिंदवाड़ा	सहायक नियंत्रक	247312
9	ग्वालियर	उप नियंत्रक,	2374936
10	मुरैना	सहायक नियंत्रक	231711
11	सागर	सहायक नियंत्रक	236525
12	रीवा	सहायक नियंत्रक	256935
13	शहडोल	सहायक नियंत्रक	230920

''उपभोक्ता की यही मांग''
'सही तौल व सही दाम'

उपभोक्ता मार्गदर्शिका